



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 10.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2019 को अभियुक्तगण फिरोज पुत्र नौशाद अहमद निवासी मौ0 साहुवान पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर आदि कुल 03 नफर के विरुद्ध के विरुद्ध भौतिक एवं आर्थिक लाभों की पूर्ति के उद्देश्य से गंभीर अपराध कारित कर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किये जाने के संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 352/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 10.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-VI / गैंगस्टर अधिनियम जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 352/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मौ0 साहुवान पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मौ0 साहुवान पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांक- 10.09.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 359/24 धारा 64/62 बीएनएस व धारा 18 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2024 को वादिनी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त विपिन पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर नन्दलाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 359/24 धारा 64/62 बीएनएस बनाम विपिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में धारा 18 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर नन्दलाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विपिन पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर नन्दलाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री आशीष पूनिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 2-का0 2138 गौरव तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 3-का0 538 उपेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 10.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की गयी विद्युत मोटर व मोटर से निकाले गये ताँबे के तार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.07.2024 को वादी श्री टेकराम शर्मा पुत्र श्री कश्मीरी लाल शर्मा निवासी ग्राम महमूदपुर खादर पोस्ट गन्धौर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 25/26.07.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी व फिरासत पुत्र इसरार व फूल सिंह पुत्र दर्शनी निवासी ग्राम नवादा व निरीश कुमार गुप्ता उर्फ बिल्लू बाबू पुत्र चित्रसैन गुप्ता की ट्यूबवैल से मोटर चोरी करके मोटर के तार निकालकर ले गये तथा मोटर की बॉडी खेत में ही फेंक गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 376/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 02.09.2024 को वादी श्री रणजीत सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 01/02.09.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटर चोरी कर ली थी व 1.अमर सिंह पुत्र झडिया सिंह 2.जय प्रकाश पुत्र धर्म सिंह निवासीगण ग्राम जलीलपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर व 3.रामनाथ पुत्र बलदेवा निवासी ग्राम अबराईमपुर का भी मोटर का तार चोरी कर लिया व 4.जय राम पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर की मोटर तोड दी थी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 444/2024 धारा 303(2) / 324(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1.फिरोज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.मनीष उर्फ सैकेटरी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बेरखेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 3.अफजाल पुत्र नूरउलहसन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से मोटर/तार चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्रो रजि0 नं0 PB65AF0197, एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा जिसमे ताँबे के तार के लच्छे बंधे हुए थे व एक विद्युत मोटर बरामद की गयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटर तार हमने जलीलपुर के जंगल से सात-आठ दिन पहले चार मोटरों को तोड़कर निकाला था व एक मोटर हम चोरी करके ले गये थे, जिसे अफजाल कबाडी निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के यहां बेच दिया था, जिसकी दुकान फीना रोड पर है व ग्राम नवादा के जंगल से दो मोटरों से लगभग चालीस पैतालीस दिन पहले तार निकालकर चोरी किये थे। एक मोटर का तार हम नहीं निकाल पाये थे, वो खुली छोड़ दी थी।

अभियुक्तों की निशादेही पर अफजाल कबाडी की दुकान से एक विद्युत मोटर (रंग हरा) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर अभियुक्त अफजाल (कबाडी) पुत्र नूरउलहसन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश आया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. फिरोज पुत्र इरशाद निवासी ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मनीष उर्फ सैकेटरी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बेरखेड़ा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. अफजाल पुत्र नूरउलहसन निवासी ग्राम हीमपुर बुजुर्ग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गयी मोटर से निकाले गये तांबे के तार (कुल वजन 14 किलो 400 ग्राम)

एक विद्युत मोटर

मोटरसाइकिल स्पलैन्डर प्रो रजि0 नं0 PB65AF0197

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 438 गजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 2523 संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 794 बालेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. कां0 2567 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. हो0गा0 परमानन्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. हो0गा0 शोभाराम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 10.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत मंडावर रोड स्थित जीडी मार्बल दुकान मालिक शौर्य पुत्र विवेक निवासी एसडी पुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर जैसे ही अपनी दुकान के सामने खड़ी गाडी में बैग रखने पहुंचे तो उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति पैदल मौके पर आये और उनसे बैग छीनकर भाग गये, जिसमें दुकान की ब्रिकी से प्राप्त नगदी, लैपटॉप, बिल व एक पुराना फोन था ।

सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । घटनास्थल के आसपास के कैमरो की फुटेज चेक की गयी तथा जनपद में सघन चेकिंग करायी गयी तो उक्त बैग कुछ दूरी पर पुलिस टीम को मिल गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 786/24 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.गौतम कुमार पुत्र सुभाष 2.अमर पुत्र विजय 3.जियाज पुत्र टेनी, 4.रघुवीर पुत्र कट्टू, 5.अनस पुत्र मुल्ला, 6.वरुण पुत्र ब्रजपाल निवासीगण ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।



कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.वरुण पुत्र ब्रजपाल व 2.रघुवीर पुत्र कट्टू निवासीगण ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

नोट- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 1.गौतम, 2.अमर, 3.अनस को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1- वरुण पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।
- 2- रघुवीर पुत्र कट्टू निवासी ग्राम चांदपुर फैरू थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वरुण व रघुवीर उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 786/2024 धारा 309(6)/61(2) बीएनएस थाना को0 नगर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- निरीक्षक श्री उदय प्रताप थाना प्रभारी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
- 2- व0उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
- 3- उ0नि0 श्री सोहन सिंह पुण्डीर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 4- का0 1084 मोहित कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
- 5- का0 2543 शुभम थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
- 6- का0 1812 आकाश कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 10.09.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 558/2024 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.06.2024 को वादी श्री राशिद पुत्र श्री शब्बीर निवासी ग्राम झकड़ी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शादाब व 2.कुरबान पुत्रगण इन्तेजार 3.सुहेल पुत्र सुलेमान निवासीगण ग्राम झकड़ी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.कादिर पुत्र अनीस निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली – गलौच करते हुए एक राय होकर वादी व आदिल के साथ लाठी डन्डो व



धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 558/2024 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि बनाम शादाब आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया । थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण शादाब व सुहेल को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुरबान पुत्र इन्तेजार निवासी झकड़ी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुरबान पुत्र इन्तेजार निवासी झकड़ी बांगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मीर हसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1041 मैमपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 10.09.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 318/24 धारा 498ए/354/323/504/506/376 भादवि, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण शहजाद पुत्र नब्बन आदि कुल 07 नफर निवासीगण ग्राम अथाई शेख थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी को अतिरिक्त दहेज की मांग कर दहेज के लिए प्रताडित किया गया तथा मांग पूरी न होने पर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जेठ महताब द्वारा वादिनी के साथ छेडछाड की गयी व वादिनी के पति द्वारा वादिनी को तलाक दे दिया एवं जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 318/24 धारा 498ए/354/323/504/506 भादवि, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधि0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त महताब पुत्र नब्बन निवासी ग्राम अथाई शेख थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महताब पुत्र नब्बन निवासी ग्राम अथाई शेख थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 ललित मोहन शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2515 मनीष कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 10.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 41 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 41 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	असलम पुत्र अ० रहमान निवासी मसूर सराय पित्थापुर
2	चांदपुर	अमन ताथल पुत्र हरिओम ताथल निवासी मो० सरायरफी
3	चांदपुर	बबलू पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम नारनौर
4	चांदपुर	मौ० फईम पुत्र सलाउद्दीन निवासी ग्राम कराल
5	चांदपुर	तारा सिंह पुत्र महताब नि० ग्राम रायपुर
6	बढापुर	धर्मपाल सिंह उर्फ लाला पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राह शाहलीपुर कोटला
7	बढापुर	राशिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम रसूलपुर मुजफ्फर
8	बढापुर	दीपक कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी सरदारपुर छायली
9	बढापुर	भारत सिंह पुत्र कालू धीमर निवासी चकउदयचन्द
10	बढापुर	अतर सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी चकउदयचन्द
11	धामपुर	सरफराज पुत्र अनीस अहमद निवासी पुराना धामपुर
12	अफजलगढ	सरफराज पुत्र रईश अहमद निवासी ग्राम सीरवासुचन्द
13	नूरपुर	आबिद पुत्र मौ० इस्लाम निवासी गौहावर जैत
14	शिवालाकलां	जगने पुत्र रामस्वरूप सैनी निवासी ग्राम फीना
15	शेरकोट	भूरे पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम भिक्कावाला
16	नजीबाबाद	मौ० नौशाद पुत्र मौ० अय्यूब मौ० जाब्लागंज
17	नजीबाबाद	खुशींद पुत्र हबीब शाह निवासी मौ० जाब्लागंज
18	नजीबाबाद	खेमचन्द पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम सादातपुर
19	नजीबाबाद	हेमराज उर्फ विक्की पुत्र खूब सिंह निवासी ग्राम सुनहारो वाली गली
20	नजीबाबाद	धर्मवीर पुत्र श्रीराम निवासी मौ० वाहिद नगर रोडवेज के पीछे
21	नजीबाबाद	फूला सिंह पुत्र इन्दर सिंह निवासी ग्राम सराय सैद घोडा
22	नजीबाबाद	छत्रपाल उर्फ बल्ली पुत्र दीवाना निवासी ग्राम महावतपुर

23	नजीबाबाद	राजू पुत्र चुन्नू सिंह निवासी ग्राम महावतपुर बिल्लो
24	नजीबाबाद	सोनू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम नान्दकार
25	नजीबाबाद	सुनील पुत्र बिन्नी सिंह निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर
26	नजीबाबाद	गोविन्द पुत्र नत्थू सिंह निवासी मौ० रम्पुरा
27	नजीबाबाद	जकी पुत्र मौ० शफी निवासी मौ० दरुम्मान मछली बाजार
28	नहतौर	शाहनवाज पुत्र शाकिर निवासी मौहल्ला हाथी वाला मंदिर
29	नहतौर	राजू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम रघुनाथपुर
30	नहतौर	सीताराम पुत्र मुकंदी सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर
31	किरतपुर	मुख्त्यार पुत्र बाबू निवासी मौ० लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
32	किरतपुर	भीम सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम ढाकी सादो थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
33	किरतपुर	नौशाद पुत्र अय्युब निवासी मौ० कुरैशियान चौकी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
34	नगीना	फहीम पुत्र सलीम तैली निवासी मौ० सरायमीर थाना नगीना जनपद बिजनौर
35	नगीना	फराज पुत्र शफिया निवासी मौ० पीर की सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर
36	रेहड	ओमप्रकाश पुत्र सुरूप सिंह निवासी ग्राम दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
37	रेहड	अतुल पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
38	रेहड	अमन पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम दहलावाला थाना रेहड जनपद बिजनौर
39	मण्डावली	रवि पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम व थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
40	कोतवाली नगर	सोमराम पुत्र रविदत्त निवासी गंज दारानगर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
41	कोतवाली नगर	समूनपुत्र वाजिद निवासी ग्राम बुरहानुद्दीन पुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर



थान स्योहारा



थाना चांदपुर



थाना बढापुर



थाना धामपुर



थाना अफजलगढ



थाना नूरपुर



थाना शिवालाकलां



थाना शेरकोट



थाना नजीबाबाद



थाना नहतौर



थाना किरतपुर



थाना नगीना



थाना नगीना



थाना रेहड



थाना मन्डावली



थाना कोतवाली नगर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 10.09.2024

थाना मंडावर पुलिस ने गौवध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को पशु कटान में प्रयुक्त उपकरणों सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजारामपुर के जंगल में नरेश कुमार के खेत से 25 किलोग्राम गौवंशीय खाल व गौवध में प्रयुक्त छुरी बरामद की गयी। घटना मे संलिप्त अभियुक्तगण मौका पाकर फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 242/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.असलम पुत्र अहसान 2.नसीम पुत्र रफिक अहमद 3.जावेद पुत्र अनीस 4.मकबूल उर्फ काले पुत्र रसीद 5.सलमान पुत्र उस्मान 6.फैय्याज पुत्र अनीस अहमद समस्त निवासीगण ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1.असलम पुत्र अहसान 2.नसीम पुत्र रफिक अहमद निवासी ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से गौवंश काटने के उपकरण लकड़ी का गुटखा, लोहे का चापड व छुरी बरामद किए गए। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.असलम पुत्र अहसान निवासी ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.नसीम पुत्र रफिक अहमद निवासी ग्राम राजारामपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

लकड़ी का गुटखा, लोहे का चापड, छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 652 चैन सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1181 हरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक- 10.09.2024

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 324/24 धारा 452/354(ख)/323/325/504/506
भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.06.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- शोएब 2- परवेज पुत्रगण इन्तेजार 3- शेरो द्वारा वादी की बहनों के साथ छेडछाड की गयी तथा उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 324/24 धारा 452/354(ख)/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में धारा 325/504 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शेरू उर्फ मुराद अली पुत्र कालू निवासी मौ0 सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में नामित परवेज उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शेरू उर्फ मुराद अली पुत्र कालू निवासी मौ0 सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

2-का0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।